उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0एम0ए0 नं0-21/2018-19

विष्णु साह

बनाम्

साहेबराम मिर्धा वगैरह

-: आदेश :-

दिनांक 27/7/17

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता विष्णु साह पे0 स्व0 हरिचरण साह सा0 लीलातरी थाना ललमटिया जिला गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी महागामा के आर0 ई0 आर0 केश नं0 09/15-16 आदेश दिनांक 05.06.18 के विरुद्ध अपील आवेदन दायर किया हे। अनुमंडल पदाधिकारी महागामा ने आर0 ई0 आर0 केश नं0 09/15-16 आदेश दिनांक 5/6/2018 के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 एवं 20 एवं 42 के तहत मौजा गोबरा खैरबनी जमाबंदी सं0 15 दाग नं0 154 एवं 155 रकवा 00-06-00 धुर जमीन से अपीलकर्त्ता का उच्छेद किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा गोबरा खैरबनी जमाबंदी सं0 15 दाग नं0 154 एवं 155 रकवा 00-06-00 धुर जमीन गत सर्वे सटेलमेंट पर्चा में फूलो मिर्धा के नाम से दर्ज है। अपीलकर्त्ता के पिता एवं जमाबंदी रैयत आपस में दोस्त थे एवं अपीलकर्त्ता के पिता को आवास के लिए कोई जमीन नहीं था। इसलिए जमाबंदी रैयत फूलो मिर्धा ने वर्ष 1939 ई0 में कुर्फा बंदोवस्त के द्वारा उक्त जमीन अपीलकर्त्ता के पिता को दिया था। अपीलकर्त्ता के पिता उसी समय से उसपर मकान बनाकर परिवार के साथ रहने लगे थे। कालांतर में अपीलकर्ता उस मकान में सपरिवार रह रहें हैं एवं वर्तमान में भी सपरिवार रह रहें हैं। उक्त जमीन से अपीलकर्त्ता को कोई लेन देन नहीं है। उक्त जमीन उत्तरवादी के चाचा के हिस्से की जमीन है। उत्तरवादी के चाचा प्रभु मिर्धा के द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से कुर्फा बंदोबस्ती को सत्यापित किया है। इसलिए अपीलकर्त्ता के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 20 का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं वर्ष 1939 ई0 में कुर्फा बंदोबस्ती से प्राप्त होने के कारण अपीलकर्त्ता का उक्त जमीन दखल अवैध भी नहीं है तथा

RMA No.35-2020-21

उसपर आवसीय मकान निर्मित होने के कारण संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 42 भी प्रभावी नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी साहेबराम मिर्धा के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मौजा गोबरा खैरबनी नं0 03 जमाबंदी सं0 15 दाग नं0 154 रकवा 5–07–02 एवं दाग नं0 155 रकवा 2–12–01 धुर जमीन गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में फुलो मिर्धा पे0 जीतु मिर्धा के नाम से दर्ज है। उक्त जमीन जमाबंदी के अन्तर्गत की जमीन है, जिसका हस्तान्तरण नहीं किया जा सकता है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0 154 एवं 155 के अंदर रकवा 00–06–00 धुर जमीन पर अपीलकर्त्ता ने जाली कागजात के आधार दावा किया जा रहा है एवं उक्त जमीन पर जाली कागजात के आधार पर दावा किये जाने के कारण निम्न न्यायालय के अपीलकर्त्ता को उच्छेद किया है। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी बोआरीजोर के पत्रांक 92/रा0 दिनांक 25/1/21 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया गया है कि गोबरा खैरबनी, थाना नं0–03 के जमाबन्दी नं0–15 कुल रकवा 22–11–18 धूर जमीन रैयत–फुलो मिर्धा वल्द जितु मिर्धा कौम डोम शा0देह के नाम से विगत सर्वे खतियान में दर्ज है। उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग नं0–154 रकवा 05–07–02 धूर किस्म–बाड़ी औवल तथा दाग नं0 –155 रकवा 02–12–01 धूर किस्म धानी दोयम के अंदर रकवा क्रमशः–0–04–00 धुर तथा 00–02–00 धूर कुल–00–06–00 धूर जमीन अपीलकर्त्ता विष्णु साह के द्वारा लेख्य प्रमाणक, गोड्डा के शपथ पत्र संख्या–8446, दिनांक–30.11. 1999 के माध्यम से शपतकर्त्ता प्रभु मिर्धा पिता–फुलो मिर्धा के मारफत अर्जित किया बताया गया है। वादगत जमीन द्वितीय पक्ष साहेबराम मिर्धा की पैतृक जमीन है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों जाँच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा गोबरा खैरबनी न0–03 जमाबंदी सं0–15 कुल रकवा 22–11–18 धुर जमीन फूलो मिर्धा वल्द जितु मिर्धा कौम डोम के नाम से गत सर्वे सेटलमेंट पर्चा में दर्ज है। अपीलकर्त्ता के द्वारा उक्त जमाबंदी के अन्तर्गत दाग न0.–154 एवं 155 के अंदर रकवा

00–06–00 धुर जमीन वर्ष 1939 ई0 में कुर्फा से उनके पिता को प्राप्त होने का दावा किया गया है। लेकिन अपीलकर्त्ता की ओर से वर्ष 1949 के पूर्व का कोई भी कागजात दाखिल नहीं किया गया। अपीलकर्त्ता के द्वारा वर्ष 1999 का शपथ पत्र की प्रति दाखिल किया है जो कि संथाल परगाना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1994 की धारा 20 के प्रावधान के विपरीत है एवं शपथ पत्र वैधानिक नहीं होने के कारण इस पर विचार करना भी उचित नहीं है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत होता हैं।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के आर0 ई0 आर0 केश न0–09/15–16 आदेश दिनांक 5/6/18 को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन खारिज किया जाता है।

डी0नं0–158
22-05-2022

लिखाया एवं शुद्ध किया।

22/05/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

22/05/22

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.22 14:47:47 +05:30
Location: 192.168.29.8